रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 2013/चैत्र 4, 1935
No. 153] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 2013/CHAITRA 4, 1935

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2013

**सा.का.नि. 188(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के क्रीड़ा क्षति केन्द्र में भौतिक चिकित्साविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्रीड़ा क्षति केन्द, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (भौतिक चिकित्साविद्), (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| भौतिक चिकित्साविद् - क्रीड़ा क्षति | 08* (2013)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतनबैंड 2<br>9300-34800/- रु0, ग्रेड वेतन 4200/- रु0 | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| (6) | (7) |
| **30 वर्ष**<br><br>टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।<br><br>टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । | **आवश्यक :**<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिक चिकित्सा विज्ञान में साढे चार वर्ष की अवधि की स्नातक उपाधि, जिसमें छह मास की अनुमोदित अनिवार्य इंटरनरशिप भी है ।<br>(ii) किसी ऐसे सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल के, जिसमें कम से कम 100 बिस्तर हों, भौतिक चिकित्सा विज्ञान ढांचे में दो वर्ष का अनुभव ।<br><br>वांछनीय :<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से क्रीड़ा/ अस्थिविज्ञान में 'भौतिक चिकित्सा विज्ञान की स्नातकोत्तर उपाधि ।<br><br>टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, शिथिल की जा सकती है ।<br><br>टिप्पण 2 अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|
| (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| सीधी भर्ती द्वारा ।<br><br>**टिप्पण :**<br><br>पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय चयन/प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)**<br><br>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक -- अध्यक्ष<br><br>2. निदेशक, क्रीड़ा क्षति केंद्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -- सदस्य<br><br>3. ज्येष्ठ विशेषज्ञ, प्रधान (यूनिट-2), क्रीड़ा क्षति केंद्र -- सदस्य<br><br>4. उप निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवा का भारसाधक - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । |

[फा. सं. ए-11013/1/2008-एच. (भाग-1)]

संजय पंत, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2013

**G.S.R. 188(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist at Sports Injury Centre in the Safdarjung Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

**1. Short title and commencement:**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital, New Delhi (Physiotherapist), (Group 'B') posts, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazettee.

**2. Number of post, classification pay band and grade pay /the scale of pay.**— The number of the said post, its classification and pay band and grade pay/the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.**— The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**— No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse livings ; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post. | Number of posts. | Classification. | pay band and grade pay / pay scale. | Whether selection post or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Physiotherapist – Sports Injury. | 08*<br>*(2013) subject to variation dependent on workload. | GCS, Group B Non-Gazetted Non-Ministerial. | PB-2 Rs. 9300-34800 grade pay Rs. 4200 | Not applicable |

| Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits would apply in case of Promotion. |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| **30 years.**<br><br>**Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with instructions or orders issued by the Central Government..<br><br>**Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | **Essential:**<br>(i) Bachelor's Degree in Physiotherapy of four and a half year duration including six months of compulsory internship approved from a recognized University/ Institute.<br>(ii) Two years experience in Physiotherapy setup in a Government Hospital/Private Hospital with at least 100 beds.<br><br>**Desirable :**<br>Master Degree of Physiotherapy (MPT) in Sports /Orthopedics from a recognized University/ Institute.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission / Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable |

1246GI/13-2

| Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made. | If a Departmental Selection/Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| two years | By direct recruitment.<br><br>**Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department and possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 7 | Not applicable | Group 'B' Departmental Promotion Committee( for considering confirmation):<br>1. Additional Medical Superintendent – Chairman<br>2. Director, Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital, New Delhi – Member<br>3. Senior Specialist, Head (Unit-II), Sports Injury Centre – Member<br>4. Deputy Director Administration incharge of Medical Hospital Section, Dte. GHS – Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. A-11013/1/2008-H (Pt.-I)]
SANJAY PANT, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064